532

राजस्थान सरकार

क्रमांक: सं.प. 9/1/नविवि/3/95 जयपुर, दिनांक 6 जुलाई, 2002

आदेश

राजकीय भूमियों पर 15 अगस्त, 1998 से पूर्व बनी कच्ची बस्तियों के नियमन का प्रावधान राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 9 (1)नविवि/3/95 दिनांक 18.5.99 के द्वारा किया गया है। सन्दर्भित परिपत्र में अधिकतम 200 वर्ग गज के कब्जों का नियमन करने का प्रावधान है। इसी क्रम में राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 9 (1)नविवि/3/95 दिनांक 21.10.2001 के द्वारा स्थानीय निकायों/नगर विकास न्यासों की योजना क्षेत्र में बसी कच्ची बस्तियों को सामान्यत: अन्यत्र शिफ्ट करने का प्रावधान है। स्थानीय निकाय यदि उनका विस्थापन करने में असमर्थता महसूस करते हैं तो 15.8.98 से पूर्व के ऐसे निवासियों का अधिकतम 50 वर्गगज तक के कब्जों का नियमन का प्रावधान है, इन दोनों प्रावधानों में विद्यमान भिन्नता भेदभाव पूर्ण प्रतीत होती है अत: यह आदेश जारी किए जाते हैं कि नगर विकास न्यासों/स्थानीय निकायों की योजना क्षेत्र में बसी कच्ची बस्तियों का भी नियमन गैर योजना क्षेत्र में बसी कच्ची बस्तियों के नियमन हेतु प्रचलित प्रावधानों के अनुसार किया जाये।

15 अगस्त, 1998 से पूर्व बसी कच्ची बस्तियों का निर्धारित अवधि में सर्वेक्षण कर नियमन करने का कार्यक्रम राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया गया था किन्तु उक्त समयावधि में अनेक कच्ची बस्तियों का चिन्हीकरण एवं सर्वेक्षण नहीं किया जा सका। अत: यह निर्णय किया गया कि ऐसी कच्ची बस्तियां जो 15 अगस्त, 1998 से पूर्व बसी हुई है तथा जिनके पास उक्त अवधि से पूर्व बसें होने के पर्याप्त दस्तावेजी प्रमाण है उनका पुन: सर्वेक्षण कराया जाकर नियमन की कार्यवाही निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत की जावें।

***